॥ सा विद्या या विमुक्तये ॥

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड

'ज्ञानतीर्थ', विष्णुपुरी, नांदेड – ४३१ ६०६ (महाराष्ट्र राज्य) भारत

SWAMI RAMANAND TEERTH MARATHWADA UNIVERSITY, NANDED

'Dnyanteerth', Vishnupuri, Nanded - 431 606 (Maharashtra State) INDIA

Established on 17th September, 1994, Recognized By the UGC U/s 2(f) and 12(B), NAAC Re-accredited with'B++' grade

Fax : (02462) 215572 NATIONAL SERVICE SCHEME DEPARTMENT website: srtmun.ac.in

Phone: (02462) 215246 E-mail: nss@srtmun.ac.in

जा.क्र.: रासेयो/२०२५–२६/३३५ दिनांक : १७/०२/२०२६

परिपत्रक

प्रति,
मा.प्राचार्य/रा.से.यो.कार्यक्रम अधिकारी,
रा.से.यो. संलग्नीत सर्व महाविद्यालये व रा.से.यो. पथक विद्यापीठ परिसर,
प्रस्तुत विद्यापीठ.

विषय: भारताच्या राष्ट्रीय गीताशी संबधित आदेशाची काटेकोरपणे आमंलबजावणी करणे बाबत

संदर्भ: मा.विकास कुलकर्णी, मा. राज्यपाल महोदयांचे उपसचिव (एडीएन), लोक भवन, मलबार हिल मुंबई यांचे जा.क्र. RB/EDN-1/Gen-2026/CR-035/112, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजीचे पत्र.

महोदय,

उपरोक्त विषयी संदर्भिय पत्रान्वये मा.विकास कुलकर्णी, मा. राज्यपाल महोदयांचे उपसचिव (इडीएन), मुंबई यांनी भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सार्वजनिक विभागाच्या संयुक्त सचिवाकडून दिनांक २८/०१/२०२६ रोजी मिळालेल्या पत्राच्या अनुषंगाने भारताच्या राष्ट्रीय गीताशी संबधित आदेश देण्यात आले आहेत. सदर आदेशाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. (सोबत: संदर्भिय आदेशाची छायांकित प्रत जोडण्यात येत आहे.)

तरी त्यानुषंगाने रा.से.यो संलग्नीत सर्व महाविद्यालये व रा.से.यो. पथक विद्यापीठ परिसर यांनी सुचित करण्यात येते की, आपल्या महाविद्यालयात भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सार्वजनिक विभागाच्या संयुक्त सचिवाकडून दिनांक २८/०१/२०२६ रोजी प्राप्त झालेल्या पत्राच्या अनुषंगाने भारताच्या राष्ट्रीय गीताशी संबधित निर्देशित केलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करून अमंलबजावणी करण्यात यावी व तसे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या या **nss@srtmun.ac.in** ई–मेलवर कळविण्यात यावे व त्याची हार्ड कॉपी रा.से.यो. विभागात सादर करण्यात यावी, ही विनंती.

प्रा. डॉ. मारोती गायकवाड
संचालक
राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग

प्रत माहितीस्तव:
१) मा. कुलगुरू महोदयांचे कार्यालय, प्रस्तुत विद्यापीठ.
२) मा. प्र.कुलगुरू महोदयांचे कार्यालय, प्रस्तुत विद्यापीठ.
३) मा. कुलसचिव कार्यालय, प्रस्तुत विद्यापीठ.
४) मा.जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क कार्यालय, प्रस्तुत विद्यापीठ.

प्रत माहिती तथा कार्यवाहिस्तव:
१) सिस्टीम एक्सपर्ट, संगणक कक्ष, प्रस्तुत विद्यापीठ, यांना प्रत देवून कळविण्यात येते की, सदरील परिपत्रक विद्यापीठाच्या व रा.से.यो विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावे, ही विनंती.

Scanned with OKEN Scanner

तत्काल

फा.सं.14/2/2025-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग
***

कर्त्तव्य भवन-3, नई दिल्ली
दिनांक 28 जनवरी, 2026

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

विषय: भारत के राष्ट्र गीत के सम्बन्ध में आदेश ।

महोदय/महोदया,

मुझे "भारत के राष्ट्र गीत के संबंध में आदेश" की एक प्रति को कड़ाई से अनुपालन करने एवं सभी संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

(जी. पार्थसारथी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन , नई दिल्ली।
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों का कार्यालय।
6. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग , योजना भवन , नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां

Scanned with OKEN Scanner

भारत के राष्ट्र गीत के संबन्ध में आदेश

भारत का राष्ट्र गीत विभिन्न अवसरों पर गाया अथवा बजाया जाता है। राष्ट्र गीत के आधिकारिक संस्करण, उन अवसरों जिन पर इस गीत को गाया अथवा बजाया जाए तथा ऐसे अवसरों पर उचित शिष्टाचार का पालन करके राष्ट्र गीत के प्रति सम्मान करने की आवश्यकता के बारे में सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जा रहे हैं:

I. राष्ट्र गीत - आधिकारिक संस्करण

(1) श्री बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित गीत 'वंदे मातरम' को 'राष्ट्र गीत' के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम' के बोल इस प्रकार हैं:-

वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलान् मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।वन्दे मातरम्।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्।

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणा: शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे।
वन्दे मातरम्।

Scanned with OKEN Scanner

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वन्दे मातरम्।

(2) राष्ट्र गीत को गाने अथवा बजाने का समय लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है।

II. <u>राष्ट्र गीत का वादन</u>

(1) राष्ट्र गीत का आधिकारिक संस्करण, निम्नलिखित अवसरों पर बजाया जाएगा:-

(i) सिविल सम्मान समारोहों के अवसर पर;
(ii) औपचारिक राजकीय समारोहों तथा सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों में राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाते समय;
(iii) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से पहले और बाद में;
(iv) राज्यपाल/उपराज्यपाल के अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में औपचारिक राजकीय समारोहों में आने पर और ऐसे समारोहों से उनके जाते समय;
(v) जब राष्ट्रीय झंडे को परेड में लाया जाए।

(2) किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्र गीत बजाया जायेगा जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए हों।

(3) जब बैंड के साथ राष्ट्र गीत गाया जाए, तो श्रोताओं को यह ज्ञान कराने के लिए कि राष्ट्र गीत प्रारम्भ होने वाला है, राष्ट्र गीत शुरू होने से पहले मृदंग बजाये जायेंगे, जब तक कि ऐसा कोई अन्य विशिष्ट संकेत न हो कि राष्ट्र गीत शुरू होने वाला है, उदाहरणार्थ, राष्ट्र गीत शुरू होने से पहले बिगुल बजाए जाते हैं। मार्चिंग ड्रिल की भाषा में रोल कि अवधि धीरे-धीरे मार्चिंग के 7 कदम होंगे। रोल धीरे-धीरे आरंभ होगा, पूरी अवधि तक बढता जाएगा और इसके पश्चात

Scanned with OKEN Scanner

धीरे-धीरे कम होकर पूर्व स्थिति में आ जाएगा, किन्तु 7वीं धुन तक सुनाई देता रहेगा। इस प्रकार राष्ट्र गीत के आरंभ होने से पहले एक धुन का अंतराल रहेगा।

III. <u>राष्ट्र गीत का सामूहिक रूप से गायन</u>

(1) निम्नलिखित अवसरों पर राष्ट्र गीत के आधिकारिक संस्करण को बजाने के साथ इसे सामूहिक रूप से गाया जाएगा:-

(i) परेडों को छोड़कर अन्य सांस्कृतिक अवसरों अथवा समारोहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने पर; (इसका आयोजन समुचित संख्या में गायकों की मंडली की उचित स्थान पर व्यवस्था करके किया जाएगा और इसे इसको बैंड आदि के ताल के साथ गाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनता के इसे सुनने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त यांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विभिन्न वार्डों (इन्क्लोजर्स) में एकत्रित जनता इसे गायक मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर गा सकें; जहां आवश्यक हो, राष्ट्र गीत के आधिकारिक संस्करण के लिखित प्रति, प्रतिभागियों के बीच वितरित किए जा सकते हैं)।

(ii) किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक समारोह में (परन्तु औपचारिक राज्य समारोहों को छोड़कर) राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाने से तत्काल पहले भी।

(2) उन सभी अवसरों पर जब राष्ट्र गीत को गाया जाता है इसे सामूहिक रूप से गाने के साथ इसके आधिकारिक संस्करण का पाठ गाया जायेगा।

(3) उन अवसरों पर, जो पूरी तरह औपचारिक न होते हुए भी मंत्रियों आदि की उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्र गीत गाया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर किसी वाद्ययंत्र के साथ अथवा उसके बिना, राष्ट्र गीत का, इसके सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ साथ गाया जाना वांछनीय है।

(4) जिन अवसरों पर राष्ट्र गीत के गायन की (गीत को बजाने से भिन्न) अनुमति दी जा सकती है, उनकी संपूर्ण सूची देना संभव नहीं है किन्तु राष्ट्र गीत को इसे सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ-साथ गाये जाने में तब तक कोई आपत्ति नहीं है जब तक उसे मातृभूमि की वंदना के रूप में श्रद्धापूर्वक गाया जाए तथा गायन के समय उचित शिष्टता का पालन किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

(5) सभी विद्यालयों में दिन का कार्य राष्ट्र गीत के सहगान से प्रारंभ होना चाहिए। विद्यालयों के प्राधिकारियों को छात्रों में राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान को लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय झंडे के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए अपने कार्यक्रम में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

IV. <u>सामान्य</u>

(1) जब कभी राष्ट्र गीत का गायन अथवा वादन हो तब श्रोतागण सावधान होकर खड़े रहें। किन्तु जब समाचार दर्शन अथवा वृत चित्र के दौरान राष्ट्र गीत फिल्म के अंश के रूप में बजाया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती क्योंकि खड़े होने से राष्ट्र गीत के गौरव में वृद्धि होने की अपेक्षा फिल्म के प्रदर्शन में बाधा पडती है और अशांति तथा गड़बड़ उत्पन्न होती है।

(2) जब राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान दोनों गाए या बजाए जाएं, तो राष्ट्र गीत पहले गाया या बजाया जाएगा।

*****

Scanned with OKEN Scanner